उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 39754

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता :श्री उदयवीर सिंह, पुत्र श्री राजपाल सिंह, पता चेंबर नंबर 158 तहसील परिसर रूडकी जिला हरिद्वार।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता : 1. लोक सूचना अधिकारी/ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, (मुख्यालय) बहादराबाद हरिद्वार, जिला हरिद्वार।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार, जिला हरिद्वार।

3. तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्रीमती पूनम सैंनी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, भगवानपुर, तहसील परिसर भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

प्रतिलिपिः

1. जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार।
2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।

आदेश

आज सुनवाई के समय अपीलार्थी दूरभाष के माध्यम से उपस्थित हुये साथ ही उनके अधिवक्ता श्री भारतवीर ने दूरभाष पर अपीलार्थी का पक्ष रखा गया। अपीलार्थी का पत्र दिनांकित 25/04/2024 प्राप्त हुआ है, जिसे परीक्षणोपरान्त पत्रावली का भाग बनाया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से श्रीमती

JP

पूनम सैनी उपस्थित हुये। श्रीमती पूनम सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांकित 14/06/2024 एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून द्वारा पत्र दिनांकित 18/06/2024 के माध्यम से लिखित अभिकथन प्रस्तुत किये गये, जिन्हें परीक्षणोपरान्त पत्रावली का भाग बनाया गया।

2. अपीलार्थी द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनाँकित 02.06.2023 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार, जिला हरिद्वार से उनके कार्यालय में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे की दिनांक 25.05.2023 समय 10 बजे से 3 बजे तक रिकार्डिंग चाही गयी।

3. अनुरोध पत्र के सापेक्ष लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक 679 दिनांकित 04.07.2023 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत कराया गया कि :–

आप द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत –8 (1) (छ) में स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी सूचना का प्रकट करना जो किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिये विश्वास में दी गयी किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने की बाध्यता नहीं है।

4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, खाद्य भवन, लाडपुर रिंग रोड़ देहरादून के समक्ष अपीलीय पत्र दिनांकित 04.07.2023 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, खाद्य भवन, लाडपुर रिंग रोड़ देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.07.2023 के माध्यम से प्रथम अपील निस्तारण हेतु विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार, जिला हरिद्वार को अंतरित की गयी। प्रथम अपील जिला पूर्ति अधिकारी को दिनांक 12.07.2023 को प्राप्त हुयी।

JP

5. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 01.08.2023 को नियत करते हुए उभयपक्षों को नोटिस प्रेषित किया गया। दिनांक 01.08.2023 एवं 21.08.2023 को अपीलकर्ता के अनुपस्थित रहने तथा अपरिहार्य कारणों से अपील की सुनवाई न होने पर सुनवाई हेतु 27.09.2023 नियत की गयी। विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील आदेश दिनांक 14.08.2023 में निम्नवत आदेश पारित किये गए:—

अपीलकर्ता को उपलब्ध करायी गयी सूचना का अनुशीलन/परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हरिद्वार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी गयी थी। अपीलकर्ता को सुनवाई हेतु 03 अवसर प्रदान किये गये, अपीलार्थी सुनवाई की तीनों तिथियों पर अनुपस्थित हैं और उनके द्वारा एक लिखित जबाव दिनांक 14.08.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 23.08.2023 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी के लिखित जबाव से कहीं यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है उनके द्वारा चाही गयी सूचना जनहित में लाभकारी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा ससमय विभागीय अपील का निस्तारण न किये जाने पर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की मांग की गयी है।

JP

7. प्रस्तुत द्वितीय अपील की सुनवाई आयोग द्वारा दिनांक 05/04/2024 को की गयी। उक्त तिथि को पारित आदेश का प्रस्तर 8 लगायत 12 निम्नानुसार है:–

प्रस्तर 8. आज सुनवाई के दौरान पत्रावली के परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि:–

- तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की ओर से अपीलार्थी द्वारा वांछित सी0सी0टी0वी0 कैमर की रिकार्डिंग के संबंध में अपीलार्थी से लोकहित स्पष्ट किये जाने की पृच्छा नहीं की गयी तथा वांछित वांछित सी0सी0टी0वी0 कैमर की रिकार्डिंग देने से इनकार कर दिया गया।
- लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है वांछित सूचना किस कारण सूचना अधिकार अधिनियम की धारा (8)(1)(छ) से आच्छादित है।
- सुनवाई में यह भी स्पष्ट हुआ कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित रिकार्डिंग को तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा संरक्षित नहीं रखा गया है।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण में उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया गया, जो कि उचित प्रतीत नहीं है।

प्रस्तर 9. तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा तत्समय अपीलार्थी से वांछित सी0सी0टी0वी0 कैमर की रिकार्डिंग में न तो लोकहित स्पष्ट किया गया एवं न वांछित रिकार्डिंग देने से इनकार से पूर्व रिकार्डिंग को संरक्षित नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति सदमंशा नहीं रही है। **वर्णित परिस्थिति में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, (मुख्यालय) बहादराबाद हरिद्वार, जिला हरिद्वार श्रीमती पूनम सैनी वर्तमान में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, भगवानपुर, तहसील**

JP

परिसर भगवानपुर, जिला हरिद्वार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–20(1) के अंतर्गत रू0 250–00 प्रतिदिन की दर से अधिकतम रू0 25000–00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि अधिरोपित किये जाने का नोटिस जारी किया जाता है। आगामी सुनवाई पर वह अपना स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगी।

प्रस्तर 10. प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार, जिला हरिद्वार द्वारा जिम्मेदारीपूर्वक प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया। अपील का निस्तारण पूर्णतः लोक सूचना अधिकारी के कथन पर किया गया प्रतीत होता है, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक निस्तारण किया जाता तो निस्तारण आदेश में वांछित रिकार्डिंग को संरक्षित किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते। प्रायः यह देखने में आया है कि आयोग एवं शासन द्वारा अपील निस्तारण के संबंध में समय–समय पर स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जाने के उपरांत भी प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अपीलों का फौरी निस्तारण किया जा रहा है।

प्रस्तर 11. प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का जिम्मेदारी पूर्वक निस्तारण न किये जाने पर अपील के निस्तारण हेतु अधिनियम की धारा–20(2) के अंतर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाता है। क्यों नहीं उनके विरूद्ध कार्यवाही संस्तुत की जाए? आगामी सुनवाई पर अपीलीय अधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्तर 12. **अपीलार्थी से अपेक्षित है कि सुनवाई की आगामी तिथि पर वह आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हुए यह स्पष्ट करेंगे कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा वांछित सी0सी0टी0वी0 कैमर की रिकार्डिंग के पीछे क्या लोकहित है। अपीलार्थी आगामी सुनवाई में (Hybrid**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

JP

hearing) Zoom Meeting Link - (ccc-vkhq-pdw) पर उपस्थित हो सकते हैं। अपीलार्थी सुनवाई की अगामी तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो गुण दोष के आधार पर अपील का निस्तारण कर दिया जाएगा।

8. अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांकित 25/04/2024 के माध्यम से निम्नानुसार कथन किये गये हैं:–

i. यह कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16–05–2023 को एक शिकायती पत्र मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार तथा जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के समक्ष अपने गाँव सकौती तहसील रूडकी जिला हरिद्वार के पूर्व राशन डीलर सुनील कुमार एवं वर्तमान राशन डीलर नवदीप कुमार शर्मा (दोनो का आपसी सम्बन्ध सगे पिता–पुत्र) के विरूद्ध अनेक आरोप लगाते हुए प्रस्तुत किया था। जिसको उपरोक्त दोनो अधिकारीगण द्वारा विपक्षी न० 2 जिलापूर्ति अधिकारी हरिद्वार को जाँच हेतु प्रेषित कर दी थी। विपक्षी नं० 2 द्वारा शिकायतकर्ता को कभी भी कोई सूचना नहीं दी गयी बल्कि शिकायत के विपक्षीगण को अपने कार्यालय में बुलाकर जाँच करने के बजाये विशेष सम्मान दिया था और आश्वासन दिया था कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। विपक्षी नं० 2 तथा शिकायत के विपक्षीगण में आपसी साज बाज होने के कारण दिनांक 25–05–2023 को विपक्षी नं० 2 द्वारा शिकायत के विपक्षीगण से कीमती उपहार व नगदी प्राप्त की थी।

ii. यह कि अपीलार्थी को उक्त की जानकारी होने पर अपीलार्थी ने दिनांक 02–06–2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक बिन्दु 6(अ) के अन्तर्गत सूचना मांगी थी, परन्तु विपक्षी नं० 1 द्वारा विपक्षी न० 2 एवं शिकायत के विपक्षीगण से साज बाज कर अधिनियम में दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत सूचना न देकर सूचना दिनांकित 04–07–2023 जो अपीलार्थी को दिनांक 08–07–2023 को प्राप्त हुई, गलत आधार पर प्रेषित की थी।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

JP

iii. यह कि अपीलार्थी द्वारा दिनाक 04–07–2023 को प्रथम अपील प्रेषित की थी जिसमें दिनांक 12–07–203 को विपक्षी न० 2 प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये थे परन्तु विपक्षी नं० 2 द्वारा सूचना अपने से सम्बन्धित होने के कारण प्रथम अपील के निस्तारण हेतु नोटिस अधिनियम में दी गयी समय सीमा के गुजर जाने के बाद दिनांक 10–08–2023 को भेजा जो प्रार्थी को दिनांक 12–08–2023 को प्राप्त हुआ था जिसमें अपील के निस्तारण हेतु दिनांक 21–08–2023 नियत की गयी थी। अपीलार्थी ने अपना लिखित जवाब बजरिये पंजीकृत डाक प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 16–08–2023 को प्रस्तुत कर दिया था तथा स्वयं दिनांक 21–08–2023 को नोटिस में दिये गये समय व स्थान पर उपस्थित हुआ था परन्तु अप्रिय कारणोवश व विपक्षी नं0 2 का स्थानान्तरण हो जाने के कारण सुनवाई नही हो पायी।

iv. यह कि अपीलार्थी की शिकायत दिनांक 16–05–2023 विपक्षी नं० 1 व विपक्षी नं० 2 द्वारा शिकायत के विपक्षीगण सुनील कुमार व नवदीप कुमार शर्मा व अन्य अधिकारीगण को बचाने की नियत से अत्याधिक प्रभावित एंव विलम्बित की गयी जिस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक रिट याचिका सं०–3341/2023 एम०एस० माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित की गयी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04–01–2024 के द्वारा एस०डी०एम० रूडकी को छः सप्ताह के अन्दर जॉच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे जिसमें भी अपीलार्थी को मांगी गयी सूचना की साक्ष्य के रूप में आवश्यकता थी।

v. यह कि प्रार्थी द्वारा शिकायत के विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने पर एक अवमानना याचिका सं0–34/2024 माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में पुनः योजित की गयी जो वर्तमान में विचाराधीन है।

vi. यह कि विपक्षी सं० 1 व 2 की नियत शुरू से ही सूचना न देने की थी इसलिए अपीलार्थी को गुमराह करने की नियत से गलत

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
JP
देहरादून

तथ्यों पर कार्यवाही की गयी तथा अपनी हरब मंशा नाजायज गैर कानूनी तौर पर पूरी करने के लिए अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना को माननीय आयोग/ सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही नष्ट कर दिया गया है ताकि विपक्षीगण व अन्य द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का खुलासा न हो सके।

vii. यह कि विपक्षी न० 1 व 2 का कर्त्तव्य था कि जब तक माननीय आयोग/सक्षम न्यायालय का कोई आदेश न हो तब तक मांगी गयी सूचना को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था परन्तु बिना किसी विधिक आदेश के ही विपक्षी न 1 व 2 ने गैर कानूनी तौर से सूचना को नष्ट किया है जो कि एक गैर कानूनी कृत्य है जिस कारण अधिनियम के प्राविधानो का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया है जिस कारण अपीलार्थी का हित प्रभावित हुआ है। इस प्रकार विपक्षी ना 1 व 2 का कृत्य निरंकुशवादी व गैर कानूनी है।

viii. यह कि माननीय आयोग द्वारा प्रदत्त नोटिस दिनांकित 18–09–2024 के बिन्दु नं0 12 के सापेक्ष अपीलार्थी माननीय आयोग के समक्ष यह कथन करता है कि अपीलार्थी द्वारा भ्रष्ट अधिकारियो सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायत की गयी थी जो वर्तमान में विचाराधीन है जिसमें भ्रष्ट अधिकारीगण व अन्य के विरूद्ध सरकारी राशन के गबन, अभिलेखीकरण से छेडछाड, अनुचित लाभ प्राप्त करने व निलम्बन आदेश की संस्तुति एस०डी०एम० रूडकी/जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना साक्ष्य के रूप में अत्यन्त आवश्यक एवं विशेष थी जिसके न मिलने के कारण प्रार्थी द्वारा की गयी शिकायत दिनांक 16–05–2023 प्रभावित हुई है। प्रार्थी द्वारा अपनी शिकायत भ्रष्ट अधिकारियो व अन्य के विरूद्ध जनहित में थी न कि व्यक्तिगत थी इसलिए विपक्षी नं० 1 व 2 द्वारा सूचना न देकर अपीलार्थी को प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अधिकार से वचित किया है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
JP
देहरादून

ix. यह कि विपक्षी नं0 1 व 2 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 20 (1) व 20 (2) के अन्तर्गत एव अन्य विधिक कार्यवाही करना नितान्त आवश्यक है ताकि विपक्षी स० 1 व 2 जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भविष्य में कभी भी उल्लंघन न करे तथा अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते समय अधिनियम की मर्यादा व बल का उल्लंघन न करे।

X. यह कि विपक्षी नं० 2 द्वारा शिकायत के विपक्षीगण से प्रभावित होकर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर ग्राम सकौती की सस्ते गल्ले की दुकान का नामान्तरण की संस्तुति कर दी गयी थी अब वर्तमान में जॉच में यह पाया गया है कि दुकान का नामान्तरण फर्जी प्रमाण पत्रो पर किया गया है इसलिए भी अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना लोक हित में थी।

9. श्रीमती पूनम सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन दिनांक 14/06/2024 में निम्नानुसार कथन किये गये हैं:–

- अपीलकर्ता का अनुरोध पत्र दिनांक 02.06.2023 जो कार्यलय में दिनांक 06.06.203 को प्राप्त हुआ उक्त अनुरोध पत्र में अनुरोधकर्ता द्वारा दिनांक 25.05.2023 समय 10 बजे से 3 बजे तक कार्यालय में लगे सी० सी० टी० वी० कैमरो की रिर्कोडिंग डिस्केट या फ्लापी अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

- उपरोक्त के क्रम में कार्यलय पत्रांक 04.07.2023 के द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बंध के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत 8 (1) (छ) के अर्न्तगत कि ऐसी सूचना को प्रकट करना जो किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रर्वतन या प्रयोजनों के लिये विश्वास में दी गयी किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत कि पहचान करेगा। इस अधिनियम के अर्न्तगत सूचना देने कि बाध्यता नहीं है, से अवगत कराया गया।

- महोदय उपरोक्त के विषय में अवगत कराना है कि कार्यलय में कार्यरत महिला कर्मचारियों द्वारा लोक सूचना अधिकारी से लिखित

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP देहरादून

पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि कार्यालय में अधिकतर स्टॉफ महिला कार्मिक है एवं न जाने उक्त व्यक्ति किस उदेश्य से सी० सी० टी० वी० कैमरो की फुटेज मांग रहा हे अतः महिला कार्मिकों की सुरक्षा एव निजता को दृष्टिगत रखते हुये उक्त सूचना दिया जाना उचित नहीं है।

- उपरोक्त रिकार्डिंग को संरक्षित ना रखे जाने के विषय में दिनांक 18.12.2018 से दिनांक 25.07.2022 तक नजारत प्रभारी रहे श्री गौरव शर्मा (व्यैक्तिक सहायक) जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कैमरे उनके नजारत प्रभारी रहते हुये कार्यालय में लगाये गये थे। तत्समय सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाते समय कार्यालयाध्यक्ष की ओर से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज ब्रैक–अप संरक्षित रखे जाने सम्बन्धी कोई आदेश अथवा निर्देश प्राप्त नहीं हुये जिसके फलस्वरूप कभी भी सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज संरक्षित नहीं रखी गयी है। महोदय यह भी अवगत कराना है कि जिस अवधि की रिकार्डिंग अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी है उस अवधि में श्री अरूण सैनी (पूर्ति लिपिक) नजारत प्रभारी थे। उनके द्वारा भी कार्यालयाध्यक्ष से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज ब्रैक–अप संरक्षित रखे जाने के विषय में कोई आदेश अथवा निर्देश प्राप्त न होने के फलस्वरूप कभी भी फुटेज संरक्षित नहीं रखी गयी है से अवगत कराया गया है।

- महोदय सादर अवगत कराना है कि तत्समय प्रार्थिनी द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, बहादराबाद, लोक सूचना अधिकारी, बहादराबाद साथ ही लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा था, संभवतः कार्य की अधिकता के चलते अपीलार्थी से उनका लोकहित स्पष्ट किये जाने के संबंध में पत्राचार करने में भूल हो गयी, जिस हेतु प्रार्थिनी मा0 आयोग से क्षमा याची है कि प्रार्थिनी इस और भविष्य हेतु सचेत रहते हुए कार्य करेगी।

10. प्रश्नगत अपील में मूल अनुरोध पत्र दिनांक 02/06/2023 के सापेक्ष लोक सूचना अधिकारी के रूप में श्रीमती पूनम सैनी द्वारा दिनांक 04/07/2023 को अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(छ) का उल्लेख करते हुए सूचना देने की बाध्यता

JP

नहीं है का उल्लेख किया गया है। सुनवाई में उनका कथन है कि तत्समय सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाते समय कार्यालयाध्यक्ष की ओर से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज ब्रैक–अप संरक्षित रखे जाने सम्बन्धी कोई आदेश अथवा निर्देश प्राप्त नहीं हुये जिसके फलस्वरूप कभी भी सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज संरक्षित नहीं रखी गयी है। श्रीमती पूनम सैनी द्वारा दिनांक 04/07/2023 को सूचना देते समय इसका उल्लेख नहीं किया गया, जो सूचना तक पहुंच सुलभ कराने में उनकी सदमंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

11. प्रायः सूचना अधिकार अधिनियम के छूट प्राविधानों धारा (8) का उल्लेख करते हुए लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज देने से इंकार किया जाता है। स्पष्ट किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2(F) के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध रिकार्ड होने के कारण सीसीटीवी फुटेज 'सूचना' के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य होने के साथ ही घटनाओं एवं कथनों की पुष्टि करने में मददगार है इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उस सीमा तक देने से इंकार नहीं किया जा सकता है जब तक वांछित सीसीटीवी फुटेज राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता अथवा किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा न हो। सूचना अधिकार में सीसीटीवी फुटेज की मांग पर प्रायः संप्रभुता एवं सुरक्षा की दलील दी जाती है, हर प्रकरण में यह दलील उपयुक्त हो यह जरूरी नहीं है। अधिकांशतः इस दलील का इस्तेमाल सीसीटीवी फुटेज न देने की मंशा से किया जाता है। निःसंदेह यह तय करना आसान नहीं है कि कोई सीसीटीवी फुटेज सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरा है अथवा नहीं; लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस आधार पर सीसीटीवी फुटेज देने से इंकार किये जाने पर सूचना दिये जाने की मंशा पर सवाल भी नहीं उठना चाहिए लेकिन सवाल तब उठता है जब सूचना अधिकार में मांगी जाने वाली फुटेज संरक्षित नहीं की जाती और प्रथम या द्वितीय अपील के निस्तारण से पूर्व वांछित फुटेज डिलीट हो जाती है और सुनवाई में फुटेज के डिलीट हो जाने से अवगत कराते हुए इतिश्री कर ली जाती है। सीसीटीवी फुटेज के संबंध में यह अत्यंत गंभीर है लोक सूचना अधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि सूचना अधिकार में वांछित सूचना के अंतर्गत सीसीटीवी फुटेज को अधिनियम की धारा (8) के अंतर्गत मानते हुए न देने का निर्णय करने का अधिकार लोक सूचना अधिकारी को उस स्थिति में है जब उसके द्वारा वांछित फुटेज को संरक्षित रखा गया हो। वांछित फुटेज को संरक्षित रखे बिना अधिनियम की धारा (8) को आड़ बनाकर

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
JP
देहरादून

सीसीटीवी फुटेज देने से इंकार करना साक्ष्य को मिटाने जैसा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी लोक प्राधिकार में सूचना अधिकार के अंतर्गत सीसीटीवी फुटेज के लिए इंकार किये जाने से पूर्व सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की समय सीमा तक अनिवार्य रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। समस्त लोक प्राधिकरणों को इस संबंध में लोक सूचना अधिकारियों को विधिवत निर्देशित भी किया जाना चाहिए।

12. प्रस्तुत अपील में गत सुनवाई पर जारी कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष श्रीमती पूनम सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषजनक न पाते हुए समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त श्रीमती पूनम सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर रू0 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार) की शास्ति इस चेतावनी के साथ अधिरोपित की जाती है कि भविष्य में वह सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रति सजग रहें।

13. श्रीमती पूनम सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उपर्युक्तानुसार अधिरोपित शास्ति की राशि उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम– 11(क) लगायत (ड.) के अनुसार आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर राजकोष में जमा की जायेगी। उनके द्वारा उक्त राशि जमा न कराये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार द्वारा श्रीमती पूनम सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के वेतन/देयकों से अधिरोपित शास्ति की राशि की कटौती कर राजकोष में जमा किया जायेगा तथा कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया जायेगा। इस हेतु इस आदेश की एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित की जाये।

14. लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराया जाता है कि अधिरोपित शास्ति ई–चालान https://ifms.uk.gov.in/e-chalan/elogin.aspx पर **Quick Pay** के माध्यम से खाता शीर्ष (0070) **other Administration services** के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "007060180100 **Under Right to Information Act 2005" Services** में जमा की जा सकती है। ई–चालन के माध्यम से शास्ति जमा किये जाने की विस्तृत मार्गदर्शिका को आयोग की वेबसाइट **https://uic.uk.gov.in** में देखी या डाउनलोड भी की जा सकती है।"

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

JP

15. इस आदेश की एक प्रति सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को शास्ति/क्षतिपूर्ति संबंधी पंजिका में इस वाद की प्रविष्टि अंकित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाये।

16. उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(योगेश भट्ट)
राज्य सूचना आयुक्त

दिनांक 19.06.2024

JP